95

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
(राज्य पुनर्गठन प्रकोष्ठ)
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक एफ 1-17/2004/4(2)/रापुप्र/1 भोपाल, दिनांक 11/06/2007

प्रति,

शासन के समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव
मध्यप्रदेश शासन
मंत्रालय, भोपाल

समस्त विभागाध्याक्ष
मध्यप्रदेश

समस्त संभागीय आयुक्त
मध्यप्रदेश

समस्त कलेक्टर
मध्यप्रदेश

विषयः- मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 68(2) के तहत भारत सरकार द्वारा उत्तरवर्ती राज्यों को अंतिम रुप से आवंटित शासकीय सेवकों के आपसी अंतर्राज्यीय पारस्परिक स्थानान्तरण ।

मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 68(2) के तहत भारत सरकार द्वारा राज्य स्तरीय अधिकारियों/कर्मचारियों के अंतिम राज्य आवंटन के आदेश जारी किये गये। इसके पश्चात दोनो राज्यों में पदस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों से पारिवारिक कठिनाईयां के कारण आपसी स्थानांतरण के आवेदन/प्रस्ताव विभिन्न माध्यमों से प्राप्त हुए। कर्मचारियों की पारिवारिक कठिनाईयों को दृष्टिगत रखतें हुए भारत सरकार कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र क्रमांक 14/279/2002 - एसआर(एस) दिनांक 1/5/2003 में दिये गये निर्देशों के पालन में छत्तीसगढ़ शासन से सहमति पश्चात्, भारत सरकार द्वारा अंतिम रूप से आवंटित राज्य स्तरीय

अधिकारियों/कर्मचारियों की आपसी सहमति से पारस्परिक स्थानांतरण के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश सामान्य प्रशासन विभाग राज्य पुनर्गठन प्रकोष्ठ के सममंख्यक परिपत्र दिनांक 29.04.2005 द्वारा जारी किये गये जिसका प्रकाशन मध्यप्रदेश असाधारण राजपत्र दिनांक 29.04.2005 में किया गया है। पारस्परिक स्थानांतरण की सुविधा, निर्देश जारी होने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि तक प्रभावशील थी जिसकी अवधि दिनांक 28.04.2006 तक थी तत्पश्चात् पारस्परिक स्थानांतरण की सुविधा छत्तीसगढ़ शासन की सहमति से एक वर्ष के लिए अर्थात दिनांक 29.04.2006 से 28.04.2007 तक बढ़ाई गई थी, जिसकी अवधि समाप्त हो गई है। अधिकारियों/कर्मचारियों की कठिनईयों को ध्यान में रखतें हुए छत्तीसगढ़ शासन की सहमति के अनुसार राज्य शासन द्वारा भारत सरकार द्वारा अंतिम रूप से आवंटित राज्य स्तरीय अधिकारियों/कर्मचारियों को आपसी सहमति से पारस्परिक स्थानांतरण की यह सुविधा एक वर्ष अर्थात दिनांक 29.04.2007 से 28.04.2008 तक बढ़ाई जाती है।

पारस्परिक स्थानांतरण की प्रक्रिया एवं अन्य शर्तें मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग राज्य पुनर्गठन प्रकोष्ठ के संदर्भित परिपत्र दिनांक 29.04.2005 के अनुसार रहेगी।

(वाय सत्यम) 11/6/07
अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग (रापुप्र)

पृ.क्रमांकः एफ 1-17/2004/4(2)/रापुप्र/1 भोपाल, दिनांक 11 /06/2007
प्रतिलिपिः-

सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (राज्य पुनर्गठन प्रकोष्ट) मंत्रालय, डी.के.एस.भवन, रायपुर को उनके ज्ञापन क्रमांक एफ 1-1/1-7/2003 दिनांक 22 मई 2007 के संदर्भ में समान कार्यवाही एवं निर्देश प्रसारित करने हेतु प्रेषित।

अपर सचिव 11/6/07
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग (रापुप्र)

डाक-व्यय की पूर्व-अदायगी के बिना
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.
अनुमति-पत्र क्र. भोपाल-म. प्र.
बि.पू.भु. भोपाल-02-06.

पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र. 108-भोपाल/06-08.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 503] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 3 अक्टूबर 2006—आश्विन 11, शक 1928

सामान्य प्रशासन विभाग
(राज्य पुनर्गठन प्रकोष्ठ)
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 3 अक्टूबर 2006

क्र. एफ. 1-2-2006-4(2)-रा.पु.प्र.-एक.—**मध्यप्रदेश/छत्तीसगढ़ राज्य की सेवा के गैर-राज्य स्तरीय संवर्ग के शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियों का आपसी स्थानान्तरण की सुविधा.**

मध्यप्रदेश/छत्तीसगढ़ राज्य की सेवा के राज्य संवर्ग के शासकीय कर्मचारियों का गैर-राज्य संवर्ग के शासकीय कर्मचारियों से एवं गैर-राज्य संवर्गों के शासकीय कर्मचारियों का आपसी अंतरण के संबंध में विस्तृत निर्देश एवं प्रक्रिया राज्य पुनर्गठन प्रकोष्ठ के परिपत्र क्रमांक एफ. 1-1-2001-4(2)-रा.पु.प्र.-एक, दिनांक 19 सितम्बर 2001 द्वारा जारी किये गये थे. राज्य स्तरीय कर्मचारियों को सुविधा देने के उद्देश्य से यह व्यवस्था की गई थी. अब चूंकि भारत सरकार द्वारा राज्य स्तरीय कर्मचारियों का अन्तिम आवंटन आदेश जारी किये जा चुके हैं. इसके पश्चात् दोनों राज्यों में पदस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों से पारिवारिक कठिनाइयों के कारण आपसी स्थानांतरण के आवेदन/प्रस्ताव विभिन्न माध्यमों से प्राप्त हुए थे. पारिवारिक कठिनाइयों को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार द्वारा दिये गये निर्देशों के पालन में दोनों राज्यों की सहमति से भारत सरकार द्वारा अंतिम रूप से आवंटित राज्य स्तरीय अधिकारियों/कर्मचारियों को आपसी सहमति से पारस्परिक स्थानांतरण के संबंध में विस्तृत निर्देश राज्य पुनर्गठन प्रकोष्ठ के परिपत्र क्रमांक एफ. 1-17-2004-4(2)-रापुप्र., दिनांक 29 अप्रैल 2005 तथा समसंख्यक ज्ञापन दिनांक 19 मई 2006 द्वारा सभी विभागों, विभागाध्यक्षों आदि को भेजे गये हैं जिसकी अवधि दिनांक 28 अप्रैल 2007 तक है. जिस प्रकार राज्य स्तरीय कर्मचारियों के लिये पारस्परिक स्थानान्तरण के लिये अलग से निर्देश हैं. उसी प्रकार गैर-राज्य स्तरीय कर्मचारियों के लिये अलग से नियम/निर्देश होना आवश्यक है. इसके परिप्रेक्ष्य में प्रकरण का परीक्षण करने के पश्चात् राज्य शासन द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग राज्य पुनर्गठन प्रकोष्ठ के ज्ञापन क्रमांक एफ. 1-1-2001-4(2)-रापुप्र., दिनांक 19 सितम्बर 2001 के द्वारा जारी निर्देशों को अधिक्रमित करते हुए दोनों राज्यों में कार्यरत गैर-राज्य स्तरीय कर्मचारियों का आपसी सहमति से पारस्परिक स्थानान्तरण के संबंध में निम्नानुसार निर्देश प्रसारित किये जाते हैं :—

1. गैर-राज्य स्तरीय संवर्गों के शाकीय सेवक, उसी विभाग/विभागाध्यक्ष/ संभागीय कार्यालय/जिला कार्यालय/तहसील कार्यालय के उसी सेवा के उसी पद, उसी संवर्ग के उसी वेतनमान एवं समकक्ष कार्य प्रकृति के शासकीय सेवक से आपसी स्थानान्तरण कर सकेंगे.

2. ऐसे शासकीय सेवक, जिनकी सेवानिवृत्ति में, इस निर्देश के प्रसारित होने के दिनांक से एक वर्ष का समय शेष रह गया हो, उन्हें पारस्परिक स्थानान्तरण की पात्रता नहीं होगी.

3. सांख्येत्तर पदों (Supernumerary posts) पर कार्यरत शासकीय सेवक को पारस्परिक स्थानान्तरण की पात्रता नहीं होगी.

4. ऐसे शासकीय सेवक, जिनके विरुद्ध विभागीय जांच/अभियोजन की कार्यवाही प्रचलित हो, उन्हें पारस्परिक स्थानान्तरण की पात्रता नहीं होगी.

5. पारस्परिक स्थानान्तरण के फलस्वरूप उत्तरवर्ती राज्य में कार्य ग्रहण करने वाले शासकीय सेवक का संविलियन करते हुए उनका सापेक्ष वरिष्ठता अखिल भारतीय सिविल सेवाओं की भांति मूल संवर्ग में उनके नियुक्ति/पदोन्नति वर्ष के अनुसार अन्त में निर्धारित की जावेगी. यथा शासकीय सेवक की उस संवर्ग में नियुक्ति/पदोन्नति यदि वर्ष 1994 की है तो पारस्परिक स्थानान्तरण पर आये शासकीय सेवक का नाम पदक्रम सूची में वर्ष 1994 के उस संवर्ग में नियुक्त/पदोन्नत कुल शासकीय सेवकों के उल्लेखित अन्तिम नाम के नीचे तथा वर्ष 1995 में नियुक्त/पदोन्नत शासकीय सेवकों के नामों से ऊपर रखा जाएगा.

6. उपरोक्त क्रमांक 5 में उल्लेखित स्थानान्तरण के फलस्वरूप संविलियन/वरिष्ठता के संबंध में पृथक् से नियम बनाये जा रहे हैं.

2. स्थानान्तरण के फलस्वरूप कर्मचारी जिस उत्तरवर्ती राज्य में जायेगा, उस कर्मचारी के पेंशन का उत्तरदायित्व संबंधित उत्तरवर्ती राज्य का होगा. कर्मचारियों के पेंशन दायित्वों का प्रभाजन मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 49 की छठी अनुसूची में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार किया जावेगा.

3. **पारस्परिक स्थानान्तरण की प्रक्रिया.**—(1). पारस्परिक स्थानान्तरण के इच्छुक एवं पात्र गैर-राज्य स्तरीय शासकीय सेवकों द्वारा संयुक्त आवेदन एवं आपसी सहमति संबंधी सहमति पत्र जो सक्षम अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित हो, दोनों राज्यों के शासकीय सेवकों के विभाग/विभागाध्यक्ष/संभागीय कार्यालय/जिला कार्यालय/तहसील कार्यालय को प्रस्तुत करेंगे.

(2) विभागाध्यक्ष/संभागीय कार्यालय/जिला कार्यालय/तहसील कार्यालय ऐसे प्राप्त आवेदन-पत्रों का परीक्षण कर, उसे अपनी अनुशंसा सहित, प्रशासकीय विभाग को अग्रेषित करेगा. संबंधित प्रशासकीय विभाग छत्तीसगढ़ शासन के संबंधित विभाग की सहमति प्राप्त कर पारस्परिक स्थानान्तरण संबंधी अंतिम आदेश जारी करेगा.

4. **महिला कर्मचारी का स्थानांतरण.**—गैर-राज्य स्तरीय संवर्गों के महिला कर्मचारी यदि स्थानान्तरण के लिये आवेदन देती है तो दोनों राज्यों की सहमति से तथा पद उपलब्धता के आधार पर स्थानान्तरण किया जाय, अर्थात् महिला कर्मचारी के लिये आपसी स्थानान्तर प्रस्ताव आवश्यक नहीं रहेगा.

5. **क्षेत्रीय आधार पर कर्मचारी का स्थानांतरण.**—उपरोक्त के अलावा यदि किसी कर्मचारी की नियुक्ति/पदोन्नति उत्तरवर्ती मध्यप्रदेश/छत्तीसगढ़ में क्षेत्रीय आधार पर (Regional basis) हुई और वे अपने मूल क्षेत्र में वापस आना चाहते हैं तो ऐसे प्रकरणों में पद उपलब्धता के आधार पर निवेदित कर्मचारी के आवेदन पर विचार किया जावे.

6. उपरोक्त कंडिका क्रमांक 1(1), कंडिका 4 एवं 5 में उल्लेखित स्थानांतरण प्रस्ताव के फलस्वरूप कर्मचारी का संविलियन/वरिष्ठता उपरोक्त कंडिका 1(5) के अनुसार रहेगी.

7. **स्थानांतरण यात्रा भत्ता.**—स्थानान्तरण के फलस्वरूप शासकीय सेवक को स्थानांतरण यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी.

8. यह निर्देश जारी होने के दिनांक से दो वर्ष की अवधि तक प्रभावशील रहेंगे.

डी. एस. राय, सचिव.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2006.

डाक-व्यय की पूर्व-अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. भोपाल-म. प्र. बि.पू.भु./04 भोपाल-03-05.

पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन म. प्र.-108 भोपाल-03-05.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 196] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 29 अप्रैल 2005—वैशाख 9, शक 1927

सामान्य प्रशासन विभाग
राज्य पुनर्गठन प्रकोष्ठ
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 29 अप्रैल 2005

क्र. एफ-1-17-2004-4(2)-रापुप्र.-एक.—मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 68(2) के तहत भारत सरकार द्वारा उत्तरवर्ती राज्यों को अंतिम रूप से आवंटित शासकीय सेवकों के आपसी अंतरराज्यीय पारस्परिक स्थानांतरण.

मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 68(2) के तहत भारत सरकार द्वारा राज्य स्तरीय अधिकारियों/कर्मचारियों के अंतिम राज्य आवंटन के आदेश जारी किये गए. इसके पश्चात् दोनों राज्यों में पदस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों से पारिवारिक कठिनाइयों के कारण आपसी स्थानान्तरण के आवेदन/प्रस्ताव विभिन्न माध्यमों से प्राप्त हुए. कर्मचारियों की पारिवारिक कठिनाइयों को दृष्टिगत रखते हुए, मानवीय आधार पर भारत सरकार कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक 14-279-2002-एस.आर.(एस), दिनांक 1 मई 2003 में दिये गये निर्देशों के पालन में दोनों राज्यों द्वारा विचार विमर्श करने के पश्चात् भारत सरकार द्वारा अंतिम रूप से आवंटित राज्य स्तरीय अधिकारियों/कर्मचारियों को आपसी सहमति से पारस्परिक स्थानांतरण के संबंध में निम्नानुसार निर्देश प्रसारित किए जाते हैं:—

(1) राज्य स्तरीय संवर्गों के ऐसे शासकीय सेवक, जिन्हें उत्तरवर्ती मध्यप्रदेश/छत्तीसगढ़ राज्य अंतिम रूप से आवंटित हुआ हो, तब वह उत्तरवर्ती मध्यप्रदेश/छत्तीसगढ़ के अन्तिम आवंटन के समय शासकीय सेवक जिस पद पर थे उसी विभाग/विभागाध्यक्ष के उसी सेवा के उसी पद, उसी संवर्ग के उसी वेतनमान एवं समकक्ष कार्य प्रकृति के शासकीय सेवक से आपसी स्थानांतरण कर सकेंगे.

(2) "भारत सरकार द्वारा किये गये अंतिम आवंटन के समय ऐसे शासकीय सेवक जो किसी संवर्ग में क्रमोन्नत वेतनमान प्राप्त कर रहे थे, की उसी संवर्ग के समान पद के शासकीय सेवक के साथ आपसी अदला-बदली की जा सकेगी, भले ही ऐसा शासकीय सेवक, जिससे अदला-बदली हो रही है, वह क्रमोन्नत वेतनमान में पदस्थ न हो".

(3) उपरोक्त कण्डिका-I (1) एवं (2) के अनुरूप मध्यप्रदेश मंत्रालय के अधिकारी/कर्मचारी छत्तीसगढ़ मंत्रालय के अधिकारी/कर्मचारी के साथ आपसी स्थानान्तरण कर सकेंगे.

(4) एक विभाग/विभागाध्यक्ष के कर्मचारी का अन्य विभाग/विभागाध्यक्ष के शासकीय सेवक के साथ पारस्परिक स्थानान्तरण नहीं किया जा सकेगा.

(5) भारत सरकार द्वारा, जिन शासकीय सेवकों को पारस्परिक स्थानान्तरण के फलस्वरूप, अंतिम आवंटन उत्तरवर्ती राज्य किया गया है, ऐसे शासकीय सेवक दोबारा पारस्परिक स्थानान्तरण के लिये पात्र नहीं होंगे.

(6) ऐसे शासकीय सेवक, जिनकी सेवानिवृत्ति में, इस निर्देश के प्रसारित होने के दिनांक से, एक वर्ष का समय शेष रह गया हो, उन्हें पारस्परिक स्थानान्तरण की पात्रता नहीं होगी.

(7) सांख्येत्तर पदों (Supernumerary Posts) पर कार्यरत शासकीय सेवक को पारस्परिक स्थानान्तरण की पात्रता नहीं होगी.

(8) ऐसे शासकीय सेवक, जिनके विरुद्ध विभागीय जांच/अभियोजन की कार्यवाही प्रचलित हो, उन्हें पारस्परिक स्थानान्तरण की पात्रता नहीं होगी.

(9) पारस्परिक स्थानान्तरण के फलस्वरूप उत्तरवर्ती राज्य में कार्य ग्रहण करने वाले शासकीय सेवक का संविलियन करते हुए उनका सापेक्ष वरिष्ठता अखिल भारतीय सिविल सेवाओं की भांति मूल संवर्ग में उनके नियुक्ति/पदोन्नति वर्ष के अनुसार अन्त में निर्धारित की जावेगी. यथा शासकीय सेवक की उस संवर्ग में नियुक्ति/पदोन्नति यदि वर्ष 1994 की है, तो पारस्परिक स्थानान्तरण पर आये शासकीय सेवक का नाम पदक्रम सूची में वर्ष 1994 के उस संवर्ग में नियुक्त/पदोन्नत कुल शासकीय सेवकों के उल्लेखित अन्तिम नाम के नीचे तथा वर्ष 1995 में नियुक्त/पदोन्नत शासकीय सेवकों के नामों से ऊपर रखा जाएगा.

(10) भारत सरकार द्वारा किये गये अन्तिम राज्य आवंटन के दिनांक 1 नवम्बर 2000 के बाद शासकीय सेवक को उत्तरवर्ती राज्य में यदि पदोन्नति दी गई है और वे पारस्परिक स्थानान्तरण करना चाहते हैं तो उन्हें पारस्परिक स्थानान्तरण पर आये उत्तरवर्ती राज्य में अन्तिम आवंटन के समय धारित पद पर पदावन्नत कर उसी संवर्ग में संविलियन किया जावेगा. पारस्परिक स्थानान्तरण के फलस्वरूप उत्तरवर्ती राज्य में कार्यभार ग्रहण करने के बाद संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के संवर्ग में यदि वे पदोन्नति हेतु पात्रता रखते हैं तो इस पर विचार किया जा सकेगा और ऐसे अधिकारी/कर्मचारी की सापेक्ष वरिष्ठता अखिल भारतीय सेवाओं की भांति मूल संवर्ग में उनके नियुक्ति/पदोन्नति वर्ष के अनुसार अन्त में निर्धारित की जावेगी. जैसा कि उपरोक्त क्रमांक 9 में उल्लेखित किया गया है.

(11) उपरोक्त क्रमांक 9 एवं 10 में उल्लेखित अनुसार पारस्परिक स्थानान्तरण के फलस्वरूप संविलियन/वरिष्ठता के संबंध में पृथक् से नियम बनाये जा रहे हैं.

2. आपसी स्थान्तरण के फलस्वरूप कर्मचारी जिस उत्तरवर्ती राज्य में जायेगा, उस कर्मचारी के पेंशन का उत्तरदायित्व संबंधित उत्तरवर्ती राज्य का होगा. कर्मचारियों के पेंशन दायित्वों का प्रभाजन मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 49 की छठी अनुसूची में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार किया जावेगा.

3. **पारस्परिक स्थानान्तरण की प्रक्रिया.**—(1) पारस्परिक स्थानान्तरण के इच्छुक एवं पात्र राज्य स्तरीय शासकीय सेवकों द्वारा संयुक्त आवेदन एवं आपसी सहमति संबंधी सहमति पत्र, जो सक्षम अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित हो, दोनों राज्यों के शासकीय सेवकों के विभागाध्यक्षों को प्रस्तुत करेंगे.

(2) विभागाध्यक्ष ऐसे प्राप्त आवेदन-पत्रों का परीक्षण कर, उसे अपनी अनुशंसा सहित, प्रशासकीय विभाग को अग्रेषित करेगा. संबंधित प्रशासकीय विभाग छत्तीसगढ़ शासन के संबंधित विभाग की सहमति प्राप्त कर पारस्परिक स्थानान्तरण संबंधी आदेश उपरोक्त कण्डिका-1 में उल्लेखित शर्तों के अधीन जारी करेगा.

(3) मंत्रालय में कार्यरत शासकीय सेवक अपने विभाग के माध्यम से सामान्य प्रशासन विभाग में आवेदन प्रस्तुत करेंगे. सामान्य प्रशासन विभाग छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग की सहमति प्राप्त कर पारस्परिक स्थानान्तरण संबंधी आदेश उपरोक्त कण्डिका-1 में उल्लेखित शर्तों के अधीन जारी करेगा.

4. **स्थानान्तरण यात्रा भत्ता.**—पारस्परिक स्थानान्तरण के फलस्वरूप शासकीय सेवक को स्थानान्तरण यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी.

5. **यह निर्देश जारी होने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि तक प्रभावशील रहेगें.**

(भूपाल सिंह)
सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग (रापुप्र).

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2005.

डाक-व्यय को पूर्व-अदायगी डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत, अनुमति-पत्र क्र. भोपाल-म. प्र. पूर्व भुगतान भोपाल/06-08.

पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन म. प्र.-108-भोपाल/06-08.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 199] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 17 अप्रैल 2007—चैत्र 27, शक 1929

सामान्य प्रशासन विभाग
(राज्य पुनर्गठन प्रकोष्ठ)
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 17 अप्रैल 2007

क्र. एफ-1-17-2004-4(2)/रापुप्र.1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000(2000 का 28) की धारा 68 की उपधारा (2) के अधीन भारत सरकार द्वारा उत्तरवर्ती राज्यों को अंतिम रूप से आवंटित शासकीय कर्मचारियों की पारस्परिक सहमति से स्थानांतरण के संबंध में निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

नियम

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 68 की उपधारा (2) के अधीन उत्तरवर्ती राज्यों के अंतिम रूप से आवंटित शासकीय कर्मचारियों के पारस्परिक स्थानांतरण (पारस्परिक सहमति से अदला-बदली) नियम, 2005 है.

(2) ये नियम 29-4-2005 से 28-4-2007 तक प्रभावशील रहेंगे, तथापि जिनमें मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य के मध्य सहमति से और आगे तक की कालावधि के लिए वृद्धि की जा सकेगी.

2. **परिभाषाएं.**—इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) "सक्षम प्राधिकारी" से अभिप्रेत है नियुक्ति प्राधिकारी/विभागाध्यक्ष या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी,

(ख) "शासन" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश शासन,

(ग) "राज्यपाल" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश के राज्यपाल,

(घ) "शासकीय सेवक" से अभिप्रेत है राज्य के नियमित नियोजन में कार्यरत राज्य संवर्ग के शासकीय कर्मचारी किन्तु इसमें ऐसा कोई नियोजन सम्मिलित नहीं है जिसमें किसी कर्मचारी को आकस्मिक निधि से भुगतान किया जाता हो या वह दैनिक वेतनभोगी हो,

(ङ) "पारस्परिक स्थानांतरण" से अभिप्रेत है पारस्परिक सम्मति से एक राज्य की सेवा से दूसरे राज्य में राज्य संवर्ग के शासकीय कर्मचारी की अदला-बदली,

(च) "पद" से अभिप्रेत है शासन के अधीन नियमित स्थापना में अधीन राज्य संवर्ग का स्वीकृत पद,

(छ) "सेवा" से अभिप्रेत है भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा को छोड़कर राज्य के कृत्यों से संबंधित किसी राज्य स्तरीय सेवा या पदों का समूह, जो शासन द्वारा उस रूप में संगठित और पदांकित हो,

(ज) "राज्य संवर्ग" से अभिप्रेत है ऐसे संवर्ग पद, जो राज्य के विभिन्न कार्यालयों के लिए स्वीकृत हैं तथा जिन पर राज्य स्तर पर नियुक्तियों/पदोन्नतियां की जाती है तथा राज्य/विभागाध्यक्ष स्तर पर पदक्रम सूची (ग्रेडेशन लिस्ट) भी रखी जाती है,

(झ) विद्यमान मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में "उत्तरवर्ती राज्य" से मध्यप्रदेश या छत्तीसगढ़ राज्य अभिप्रेत है.

3. **संविलियन/ज्येष्ठता की प्रक्रिया** — मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 (2000 का 28) की धारा 68 की उपधारा (2) के अधीन राज्य पुनर्गठन के परिणामस्वरूप भारत सरकार द्वारा लिए गए उत्तरवर्ती मध्यप्रदेश राज्य के राज्य स्तर के अधिकारियों/कर्मचारियों के अंतिम आवंटन पर, छत्तीसगढ़ राज्य से मध्यप्रदेश राज्य में तथा मध्यप्रदेश राज्य से छत्तीसगढ़ राज्य में पारस्परिक सम्मति से स्थानांतरण के परिणाम स्वरूप शासकीय कर्मचारियों का संविलियन/ज्येष्ठता निम्नानुसार होगी:—

(1) पारस्परिक स्थानांतरण के परिणामस्वरूप संविलियन के पश्चात् उस शासकीय सेवक की सापेक्षिक (रिलेटिव) ज्येष्ठता, जिसने उत्तरवर्ती राज्य में पदभार ग्रहण किया है, मूल संवर्ग में उनकी नियुक्ति/पदोन्नति की तारीख के अनुसार अंत में नियत की जाएगी, उदाहरणार्थ यदि संवर्ग (काडर) में शासकीय सेवक की नियुक्ति/पदोन्नति का वर्ष 1994 है, तो उस शासकीय सेवक का नाम जिसने पारस्परिक स्थानांतरण पर पदभार ग्रहण किया है, संबंधित वर्ष 1994 में, उस संवर्ग में नियुक्त/पदोन्नत सभी शासकीय सेवकों के अंतिम नाम के नीचे रखा जाएगा तथा वर्ष 1995 में नियुक्ति/पदोन्नत शासकीय कर्मचारियों के नाम से पहले रखा जाएगा,

(2) यदि शासकीय सेवक, जो अंतिम आवंटन के पश्चात् उस पद से, जो वह भारत सरकार द्वारा अंतिम आवंटन के समय धारित कर रहा था/रही थी, उत्तरवर्ती राज्य में पदोन्नत किया गया हो तथा पारस्परिक स्थानांतरण के आधार पर पदभार ग्रहण करता है, तो उसे उस पद पर, जो वह अंतिम आवंटन के समय धारित कर रहा था/रही थी, पदावनत किया जाएगा तथा उसका उसी संवर्ग (काडर) में संविलियन किया जाएगा तथा उसकी ज्येष्ठता उप नियम (1) के अनुसार विनिश्चित की जाएगी.

4. पारस्परिक स्थानांतरण इस प्रयोजन के लिए पृथक् से जारी किए गए मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुरूप होंगे.

No. F-1-17-2004-4(2)SRC-1.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes, the following rules relating to the transfer with mutual consent of Government employees allotted finally to the successor States by Government of India under sub-section (2) of Section 68 of Madhya Pradesh Re-organization Act, 2000 (28 of 2000), namely :—

RULES

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called mutual transfer (swapping with mutual consent) Rules 2005 for the Government employees finally allotted to the sucessor States under sub-section (2) of section 68 Madhya Pradesh Re-organization Act, 2000.

(2) Theses rules shall be effective w.e.f. 29-4-2005 to 28-4-2007 which may, however be extended for a further period as may be agreed between the State of Madhya Pradesh and Chhattisgarh.

2. **Definitions.**—In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Competent Authority" means appointing authority/Head of the department, or any other officer authorised by them;

(b) "Government" means Government of Madhya Pradesh;

(c) "Governor" means Governor of Madhya Pradesh;

(d) "Government servant" means Government employees of state cadre working in the regular employment of the state but it does not include any such employment in which payment is made to the employee from contingency fund or he is a daily wager;

(e) "Mutal Transfer" means swapping of Government employees of state cadre with mutual consent from the services of one state to the other;

(f) "Post" means sanctioned post of state cadre under regular establishment under the Government;

(g) "Service" means group of service or posts of state level related to the functions of the State which is organised and post marked in that form by the Government, except Indian Administrative Services, Indian Police Service and Indian Forest Services;

(h) "State Cadre" means the cadre posts which are sanctioned for the different offices of the State and on which appointments/promotions are made at State level and gradation list also maintained at the State/Head of Department levels;

(i) "Successor State" in relation to the existing State of Madhya Pradesh means the State of Madhya Pradesh and Chhattisgarh.

3. **Process of absorption/seniority** —Consequent to the State reorganization under sub-section (2) of section 68 of Madhya Pradesh Re-organization Act, 2000 (2 of 2000), the final allotment of State level officers/employees of successor state of Madhya Pradesh made by the Government of India, the absorption/seniority of Government employees in consequent to the transfer with mutual consent from the State of Chhiattisgarh to the State of Madhya Pradesh and the State of Madhya Pradesh to the State of Chhiattisgarh shall be as follows:—

(1) In consequence of mutual transfer after absorption, relative seniority of the Government servant, who has joined in successor state shall be fixed at the end according to their appointment/promotion date in original cadre e.g. if the year of appointment/promotion of the Government Servant in the cadre is 1994, the name of the government servant who has come to join on mutual transfer shall be placed below the last name of total appointed/promoted Government servant in the relevant year 1994 in that cadre and shall be placed before the name of the Government employees appointed/promoted in the year 1995.

(2) If a Government Servant who has been promoted in the successor State after final allocation from the post which he/she was holding at the time of final allocation by the Government of India and joins on the basis of mutual transfer, he/she shall be demoted on the post which he/she was holding at the time of final allocation and shall be merged in the same cadre and seniority shall be decided as per sub-rule (1) above.

4. Mutual transfer shall be in conformity with guiding principles issued separately for the purpose.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वाय. सत्यम, अपर सचिव.